भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 8400/2019

(एस एल पी (सी) संख्या 23679/2019 से उत्पन्न)

बंशीधर शर्मा (मृत्यु) जरीये विधिक प्रतिनिधि - अपीलकर्ता (एस)

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य - प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

रस्तोगी, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ द्वारा 21 अगस्त, 2019 को पारित आदेश से उत्पन्न हुई है।

3. इसके प्रासंगिक मौलिक तथ्य यह हैं कि स्वर्गीय श्री बंशीधर शर्मा (अपीलार्थी के पूर्ववर्ती) ने 15 जुलाई, 1961 को कब्जा लेने, खातों के प्रतिपादन और स्थायी व्यादेश के लिए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, संख्या 1, जयपुर शहर के समक्ष एक मुकदमा दायर किया था जिसमें निम्नलिखित विवाद्यक तैयार किए गए थेः

1. क्या वादग्रस्त मंदिरों की स्थापना मुकदमाकर्ता के पूर्वजों द्वारा की गई थी और उनके पूर्वज मंदिरों के पूजारी और महंत थे, जिनको उनके प्रबंधन करने के हक था?

2. क्या उक्त मंदिरों और उनसे जुड़ी 24 दुकानों की स्थापना, निर्माण और रखरखाव पूर्व जयपुर राज्य द्वारा किया गया था और उनका प्रबंधन उनके सेवकों द्वारा किया जाता था?

3. क्या वादी का वाद मंदिरों का कब्जा और प्रबंधन अपने स्वयं के अधिकारों से है या राज्य की ओर से उनके पुजारी या सेवक के रूप में?

4. क्या पंडित महादेव जी वादग्रस्त मंदिरों के महंत या पूजारी थे और उन्होंने लंबी तीर्थयात्रा पर जाने के दौरान सुरक्षा और उचित प्रबंधन के लिए वर्ष 1925 में जयपुर की पूर्व संपदा के धर्मार्थ विभाग को मंदिरों का प्रबंधन और उनसे जुड़ी दुकानें सौंप दी?

5. क्या वादी पंडित महादेव जी का वंशज है और प्रतिवादियों से 1925 के बाद की अवधि के लिए मंदिर और दुकानों के कब्जे और उनकी आय के खाते का दावा करने का हकदार है?

6. क्या सी पी सी की खंड 80 के अधीन सूचना दोषपूर्ण है?

7. क्या मुकदमा परिसीमा के भीतर है?

8. अनुतोष?

4. मुकदमा सुनवाई के बाद, निचली अदालत ने 26 नवंबर, 1977 के अपने निर्णय के अनुसार यह अभिनिर्धारित किया कि वाद में कोई सार नहीं था और इसे खर्चे के साथ खारिज कर दिया। निचली अदालत के निर्णय दिनांकित 26 नवंबर, 1977 को एस. बी. सिविल प्रथम अपील संख्या 86/1979 से चुनौती दी गई। अपील विचाराधीनता रहने के दौरान, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी, 1978 को एक अंतरिम आदेश पारित कियाः

> "जी. ए. और प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करें। इस बीच,
>
> अपीलकर्ता को उस परिसर से बेदखल नहीं किया जाएगा,

जहां वह रहता है। अपीलकर्ता द्वारा दावा की गई शेष राहत पर नोटिस दिए जाने के बाद विचार किया जाएगा।"

5. 11 जनवरी, 1978 के अस्थायी अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए, एस. बी. सिविल द्वितीय स्थगन आवेदन संख्या 163/96 अपीलार्थी-वादी के अनुरोध पर 9 अक्टूबर, 1996 को दायर किया गया और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 10 अक्टूबर, 1996 को द्वितीय स्थगन आवेदन पर एक और अंतरिम आदेश पारित किया, जो इस प्रकार हैः

"मैंने दूसरे स्थगन आवेदन पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आदेश दिनांकित 11.1.78की प्रति को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा इस न्यायालय की विद्वत खण्ड पीठ ने निर्देश दिया था कि इस बीच पक्षकार को बेदखल नहीं किया जाएगा ।

इस तथ्य का प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन के अपने जवाब में खंडन नहीं किया गया है, क्योंकि उसी को जवाब में पुनः प्रस्तुत किया गया है.

श्री माथुर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने शपथ पत्र के साथ कुछ दस्तावेज रेकॉर्ड पर रखे हैं।

कथित दस्तावेज़ की प्रतियां पहले ही अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दी जा चुकी हैं।

कथित शपथ पत्र का जवाब आज से एक सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया जाए।

इस बीच, इस अपील की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक प्रश्नगत परिसर के संबंध में दिनांक 11.1.78 के आदेश के पारित होने की तारीख तक विद्यमान यथास्थिति बनी रहेगी।

इस अपील को 20 अक्तूबर, 1996 को सूचीबद्ध किया जाए।"

6. इसके अनुक्रम में, आगे अंतरिम आदेश 22 नवंबर, 1996 को पारित किया गया। दिनांक 22 नवंबर, 1996 के आदेश का प्रभावी भाग यहां संदर्भित है:

"परिणामस्वरूप दूसरे स्थगन आवेदन को स्वीकार किया जाता है। प्रत्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे कथित मंदिर में मूर्तियों की सेवा पूजा करने के आवेदकों के अधिकारों में हस्तक्षेप न करें और जिस मंदिर में वे रह रहे हैं, उसके परिसर से आवेदकों को बेदखल न करें। प्रत्यर्थी को आगे निर्देश दिया जाता है कि वे भगवान लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर का कब्जा बहाल करें, यानी, आवेदकों/अपीलकर्ताओं को प्रश्नगत मंदिर का कब्जा तुरंत या किसी भी सूरत में दिसंबर, 1996 की 3 तारीख तक दे दें, और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रत्यर्थी द्वारा तुरंत प्रस्तुत की जाए क्योंकि 1988 में प्रत्यर्थीओं द्वारा उपर्युक्त मंदिर का कब्जा दिवंगत बंशीधर से जबरन और कानून सम्यक प्रक्रिया के बिना और दिवंगत बंशीधर या वर्तमान/अपीलकर्ताओं के खिलाफ किसी सक्षम अदालत से कब्जा या बेदखली का आदेश प्राप्त किए बिना लिया गया था। सुनवाई और अपील के अंतिम निपटान के लंबित

रहने तक, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.1996 को पारित अंतरिम आदेश, जिसमें इस न्यायालय की विद्वत खंड पीठ द्वारा 11.1.1978 को पारित पहले के आदेश को स्पष्ट किया गया था, की पुष्टि की जाती है। अपील को सुनवाई और अंतिम निष्पादन के लिए 17.12.1996 को सूचीबद्ध किया जाए।"

7. बाद में, एस. बी. सिविल प्रथम अपील संख्या 86/1979 को अंतिम रूप से सुने जाने के बाद, 20 अप्रैल, 2018 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया और विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य के प्रति सचेत थे कि पहली अपील के लंबित रहने के दौरान कुछ अंतरिम आदेश पारित किए गए थे और अपील को खारिज करते हुए 10 अक्टूबर, 1996 और 22 नवंबर, 1996 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रभावी आदेश पारित किएः

"कथित आदेश के अनुपालन में, अपीलकर्ता को मुकदमा संपत्ति का कब्जा दिया गया था। इस आवेदन द्वारा, यह प्रार्थना की जाती है कि 10.10.1996 से पहले की स्थिति को बहाल किया जाए या 10.10.1996 के आदेश को वापस लिया जाए या संशोधित किया जाए। इस न्यायालय की राय में, जब अपील खारिज कर दी गई है और अपीलकर्ता का विवादित मंदिर और उससे संबंधित संपत्तियों पर कोई अधिकार नहीं पाया गया है, तो आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए और 10.10.1996 से पहले मौजूद स्थिति बहाल की जानी चाहिए। तदनुसार आवेदन की स्वीकार किया जाता है।

नतीजतन, यह अपील एक लाख रुपये के हर्जा-खर्चाके साथ खारिज कर दी जाती है और वादी को आज से दो महीने की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को विवादित संपत्ति का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर, प्रत्यर्थी-उत्तरदाता न्यायालय के माध्यम से कब्जा प्राप्त करने के हकदार होंगे। इसके अलावा, प्रत्यर्थी-उत्तरदाता मुकदमेबाजी का हर्जा-खर्चा वादी-अपीलार्थी से प्राप्त करने का भी हकदार है।"

8. 20 अप्रैल, 2018 के निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष 2018 की एसएलपी (सी) संख्या 13439 में फिर से चुनौती दी गई और इसे 17 मई, 2018 को खारिज कर दिया गया। इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के बाद, प्रत्यर्थी ने 20 अप्रैल, 2018 को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ता वादी को कब्जा सौंपने के लिए एक सूचना भेजी, लेकिन जब अपीलकर्ता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो धारा 151 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 144 (इसके बाद सीपीसी के रूप में संदर्भित) के तहत अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया गया था।

9. पक्षकारों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्क को ध्यान में रखते हुए 21 अगस्त, 2019 के अपने आदेश द्वारा आवेदन को अनुमति दी, जिसमें प्रत्यर्थी और राज्य को वाद संपत्ति का कब्जा लेने और यदि आवश्यक हो, तो प्रश्नगत सम्पति, जिसे हमारे समक्ष अपील में चुनौती दी जा रही है, का कब्जा लेने के लिए पुलिस या अन्य सहायता लेने की स्वतंत्रता दी गई।

10. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का मूल आधार यह है कि सीपीसी की धारा 144 के तहत निष्पादन आवेदन केवल पहली बार के न्यायालय के समक्ष होगा, जो वर्तमान मामले में, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, संख्या 1, जयपुर शहर का न्यायालय है, न कि उच्च न्यायालय,और विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा 21 अगस्त, 2019 को पारित किया गया आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

11. विद्वत वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए अपील का एक मूल्यवान अधिकार खो दिया है और निवेदन करते हैं कि विधिवत नहीं होने के कारण आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और प्रत्यर्थी को कानून के तहत निर्धारित उपचार को अपनाने और प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वत वकील, विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष का समर्थन करते हुए, निवेदन करते हैं कि विचारण न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश नहीं था जिसके आधार पर अपीलकर्ता को प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा दिया गया था क्योंकि वाद पहली बार में निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसकी प्रथम अपील में और न्यायालया द्वारा भी पुष्टि की गई थी। वर्तमान परिस्थितियों में, धारा 144 सीपीसी के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि धारा 144 सीपीसी द्वारा अपेक्षित डिक्री या आदेश में कोई बदलाव या उलटफेर नहीं हुआ है।

13. विद्वत वकील आगे निवेदन करते हैं कि चूंकि पहली अपील के लंबित रहते उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश के तहत कब्जा अपीलार्थी को सौंप दिया गया था, जिसे अंततः खारिज कर दिया गया और इस प्रकार, वर्तमान परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के लिए यह आवश्यक था कि वह प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा बहाल करे और धारा 144

का उल्लेख करने से कानून के तहत एक उपयुक्त स्वीकार्य तंत्र को अपनाने में पक्षकारों के अधिकारों को कम नहीं करेगा और इस पर उच्च न्यायालय द्वारा 21 अगस्त, 2019 के आक्षेपित आदेश के तहत विचार किया गया है और इसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. प्रतिद्वंद्वी दलीलों का मूल्यांकन करने से पहले, सीपीसी की धारा 144 का उल्लेख करना उपयुक्त होगाः

> "**प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन-**(1) जहां और जहां तक किसी डिक्री या आदेश को किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में परिवर्तित किया जाता है या उलट दिया जाता है या इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त या उपांतरित कर दिया जाता है, डिक्री या आदेश पारित करने वाला न्यायालय, बहाली के माध्यम से या अन्यथा किसी भी लाभ के हकदार किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, इस तरह की बहाली करे जैसी अपेक्षित है, जहां तक हो सके, पक्षकारों को उस स्थिति में रखें, जिस स्थिति में वो इस तरह के डिक्री या आदेश या उसके किसी हिस्से जिसे परिवर्तित, उलट देने, रद्द या संशोधित किया गया है से पहलेथे। और, इस प्रयोजन के लिए, न्यायालय कोई भी आदेश दे सकता है, जिसमें लागतों की वापसी के लिए और ब्याज, नुकसान, मुआवजे और मध्यवर्ती लाभ के भुगतान के लिए आदेश शामिल हैं, जो इस तरह के बदलाव, उलट देने, रद करने या संशोधित करने के परिणामस्वरूप होते हैं।"

15. 1976 के पश्चात् संशोधित धारा 144 सीपीसी की व्याप्ति पर इस न्यायालय द्वारा नीलथुपारा कुम्मी सेठी कोया फंगल (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि (ओं)बनाम मंथारापल्ला पडिप्पुआ अट्टाकोया और अन्य (1995 अनुपूरक (3) एससीसी 760)के अनुछेद 3 में निम्नलिखित रूप में विचार किया गया हैः

> "3. 1976 के संशोधन अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया गया औरस्पष्टीकरण (क) से (ग) जोड़े गए किंतु मामले के प्रयोजन के लिए उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि क्या हस्तांतरी निष्पादन न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अर्थान्तर्गत 'प्रथमतः न्यायालय'है। उप-धारा (1) को पढ़ने मात्र से यह संकेत मिलता है कि जब निष्पादित डिक्री को उलट दिया जाता है या बदल दिया जाता है या संशोधित कर दिया जाता है तो बहाली के लिए आवेदन किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत इस उच्च आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है कि न्यायालय के कार्यों को वादी को चोट या अन्याय पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। धारा 144, इसलिए, उस मामले में प्रतिस्थापन की अवधारणा करती है जहां संपत्ति डिक्री धारक द्वारा डिक्री के तहत प्राप्त की गई है, जो बाद में या तो उन कार्यवाहियों या अन्य कार्यवाहियों में पूरी तरह से या आंशिक रूप से उलट गई थी या पूरी तरह से परिवर्तित कर दी गई थी। परिस्थितियों की उस श्रेणी में कानून में उस पक्ष को जिसे ऐसे उलटे गए निर्णय का लाभ प्राप्त हुआ का दायित्व

माना गया की वह संपत्ति को उस व्यक्ति को वापस कर दे, जिसने इसे खो दिया था। उस निमित्त उपधारा (2) में वाद का अधिकार निकाला गया और और उपधारा (1) के तहत एक आवेदन पर बहाली के माध्यम से डिक्री के निष्पादन पर विचार किया गया। धारा (1) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यह "पहली बार का न्यायालय"है जिसमें मुकदमा की कार्यवाही शुरू की गई थी और डिक्री पारित की गई थी या मुकदमा खारिज कर दिया गया था, लेकिन अपील पर डिक्री जारी होने या इसके विपरीत होने के पश्चात। "अतः "पहली बार का न्यायालय"का अर्थ उस न्यायालय से होगा जिसने डिक्री या आदेश पारित किया हो। निष्पादन करने वाला हस्तांतरी न्यायालय वह न्यायालय नहीं है जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था, लेकिन डिक्री या आदेश के निष्पादन को सुगम बनाने के लिए डिक्री स्थानांतरित की गई थी क्योंकि जिस संपत्ति को निष्पादन करने की मांग की गई थी या जो व्यक्ति निष्पादन के लिए उत्तरदायी है वह उस निष्पादन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है या रहता है। अतः, वह न्यायालय जो प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन ग्रहण करने के लिए सक्षम है, "पहली बार का न्यायालय"अर्थात् प्रशासक का न्यायालय (अधीनस्थ न्यायाधीश) है जिसने मुकदमें में डिक्री पारित की है, न कि वह न्यायालय जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई थी। प्रशासक की पहली अदालत को अब अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत के रूप में नामित किया गया है,

लेकिन बहाली के लिए आवेदन निष्पादन करने वाली अदालत, अर्थात् एंड्रोथ में जिला मुंसिफ की अदालत में दायर किया गया था। इस प्रकार धारा144 की भाषा के मद्देनजर एंड्रोथ के जिला मुंसिफ को किसी भी तरह से पहली बार का न्यायालय नहीं माना जा सकता। इसका प्रत्यास्थापन का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसलिए यह एक अकृतता है। तदनुसार, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर सही है कि प्रत्यास्थापन के लिए आदेश स्पष्ट रूप से कानून की त्रुटि और अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण दूषित हो गया है। हमारे पास हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। इन परिस्थितियों में बिना जुर्माने के अपील खारिज की जाती है।"

16. इस न्यायालय की अन्य समन्वित न्यायपीठ द्वारा, मूर्ति भवानी माता मंदिर प्रतिनिधित्व जरिये पुजारी गणेशी लाल (डी) जरिये विधिक प्रतिनिधि कैलाश बनाम राजेश (2019 (3) एससीसी 707), में हाल ही में निम्न विचार प्रस्तुत किया गया हैः

“धारा 144 उस स्थिति पर लागू होती है जहां कोई डिक्री या आदेश अपील, पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही में परिवर्तित या उलट दिया जाता है या इस प्रयोजन के लिए किसी वाद में अपास्त या संशोधित किया जाता है। उस स्थिति में, वह न्यायालय जिसने डिक्री पारित की है, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर प्रत्यास्थापन कारित कर सकता है जिससे कि पक्षकारों को उस स्थिति में रखें, जिस स्थिति में वो इस तरह के डिक्री या आदेश या उसके किसी हिस्से जिसे परिवर्तित, उलट दिया, रद्द या संशोधित

किया गया है से पहले थे। न्यायालय को ऐसे आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है जो परिवर्तित या उल्टे गए आदेश या डिक्री के परिणामी प्रकृति के हैं।"

17. यह स्पष्ट रूप विदित होता है कि धारा 144उस स्थिति को लागू होती है जहां कोई डिक्री या आदेश अपील, पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही में परिवर्तित या उलट दिया जाता है या इस प्रयोजन के किसी वाद में अपास्त या संशोधित किया जाता है। बहाली के सिद्धांत का मत यह है कि किसी डिक्री के उलट दिये जाने पर, विधि उस वाद के पक्षकार पर, जिसने डिक्री का लाभ प्राप्त किया है, यह बाध्यता अधिरोपित करती है कि वह दूसरे पक्षकार को हुए नुकसान की बहाली करे। यह बाध्यता स्वतः रूप से डिक्री के उलट दिये जाने या उपांतरण पर उद्भूत होती है और आवश्यक रूप से उस डिक्री के अधीन किए गए सभी कार्यों की बहाली का अधिकार रखती है जिसे रद्द कर दिया गया है या आदेश को परिवर्तित या उलट दिया गया है और बहाली करने में न्यायालय पक्षकारों को, जहां तक हो सके उन्हें उस स्थिति तक बहाल करेगा जिस स्थिति में वो न्यायालय द्वारा विस्थापित करने से पहले थे।

18. निःसंदेह, वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश नहीं था जिसके द्वारा अपीलकर्ता को प्रश्नगतसंपत्ति का कब्जा दिया गया था। इसके विपरीत, अपीलार्थी-वादी के अनुरोध पर दायर वाद को हर्जा-खर्चा के साथ खारिज कर दिया गया और इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पहली अपील को खारिज करने से हो गई और इस न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका को भी खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के तहत पहली अपील लंबित रहते प्रश्नगत संपत्ति के अपीलकर्ता को कब्जा सौंप दिया गया था, जिसका संदर्भ दिया गया था और अपील खारिज होने के बाद, इसके तार्किक परिणाम को उच्च न्यायालय ने अपने 20 अप्रैल, 2018 के निर्णय में देखा,

जिसमें अपीलकर्ता को प्रतिवादियों-उत्तरदाताओं को प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया था।

जाहिर तौर पर इस कारण से कि अपीलकर्ता द्वारा दायर पहली अपील के खारिज करने पर, वह अंतरिम आदेशों के रद्द होने पर प्रतिवादियों को शांतिपूर्ण कब्जा वापस करने के लिए बाध्य था।

19. वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को 17 मई, 2018 के आदेश के तहत खारिज किए जाने के बाद प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा सौंपने के लिए अपीलकर्ता को कहने का निर्णय लेने में कोई गलती नहीं की है और उसके बाद, प्रत्यर्थी के पास प्रश्नगत संपत्ति के कब्जे की बहाली के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 151 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर करने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं बचा था।

20. पक्षकारों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा 21 अगस्त, 2019 को पारित आदेश में अपीलकर्ता को प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा सौंपने का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या एस.बी. सिविल प्रथम 86/1979 के लंबित रहते पारित अंतरिम आदेशों के तहत अपीलकर्ता को सौंपा गया था, जिसे अंतिम रूप से 20 अप्रैल, 2018 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया।

21. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निष्पादन आवेदन केवल प्रथमतः न्यायालय के समक्ष किया जाएगा, जो वर्तमान मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, नं. 1, जयपुर शहर है, न कि उच्च न्यायालय और आक्षेपित निर्णय अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इस कारण से सारहीन है कि विचारण न्यायालय की ऐसी कोई डिक्री या आदेश नहीं था जो अपील, पुनरीक्षण या

किसी अन्य कार्यवाही में परिवर्तित या उलट दिया गया है या इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त या संशोधित किया गया है। निःसंदेह, उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी-वादी को कब्जा सौंप दिया गया था, पहली अपील के लंबित रहने तक जो अंततः खारिज कर दी गई, इसका तार्किक परिणाम प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों को प्रश्नगत संपत्ति के कब्जे को शांतिपूर्ण तरीके से बहाल करना था। इन परिस्थितियों में, हमारे विचार से, धारा 144 सीपीसी के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि इसमें धारा 144 सीपीसी में जैसा निहित है किसी डिक्री या आदेश को वापस नहीं लिया गया।

22. आदेश को पारित करने से पहले, इस तथ्य ध्यान दें में रखते हुए कि आज से बहुत पहले वर्ष 1961 में अपीलकर्ता-वादी द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी और अब तक लगभग 59 साल बीत चुके हैं, मुकदमेबाजी को शांत करने के लिए और यह तथ्य भी ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता सभी चरणों में विफल रहा था, जिसके पास प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा रखने का अधिकार नहीं था, हम, इसलिए, 20 अप्रैल, 2018 के उच्च न्यायालय के फैसले और 21 अगस्त, 2019 को जारी एक आदेश के अनुपालन में प्रतिवादियों को आज से आठ सप्ताह के भीतर प्रश्नगत संपत्ति का शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने के लिए अपीलकर्ता को निर्देश देना उचित समझते हैं, जिसमें विफल होने पर यह न्यायालय इस मामले को गंभीरता से लेगा और इस आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

23. अपील सारहीन है और तदनुसार उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ खारिज की जाती है । खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

24. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

न्यायाधीश (मोहन एम शांतनगौदार)

न्यायाधीश (अजय रस्तोगी)

नई दिल्ली

05 नवंबर, 2019

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।